न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 255/2023

1. श्रीमती परमेश्वरी पत्नी श्री बृजलाल जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम रमेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह सहारण निवासी नेतेवाला एवं श्रीमती सारिका चौधरी पत्नी श्री औमप्रकाश निवासी 18 जी जी तहसील श्रीगंगानगर
2. राजपाल पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम रमेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह सहारण निवासी नेतेवाला एवं श्रीमती सारिका चौधरी पत्नी श्री औमप्रकाश निवासी 18 जी जी तहसील श्रीगंगानगर
3. विनोद कुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम रमेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह सहारण निवासी नेतेवाला एवं श्रीमती सारिका चौधरी पत्नी श्री औमप्रकाश निवासी 18 जी जी तहसील श्रीगंगानगर

—— प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. श्रीमती रजनी पत्नी श्री अमर सिंह सहारण जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती अंजू पत्नी श्री बलराम जाति नाई निवासी मकान नम्बर 120 प्रेम नगर, वृद्धाश्रम रोड़, चक 6 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. कस्तूरी लाल जस्सल पुत्र श्री जीत राम जस्सल जाति रामदासिया निवासी गली नम्बर 4, नजदीक संजय वाटिका, वार्ड नम्बर 10, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री संजय जनवेजा — — प्रार्थीगण
   अप्रार्थी संख्या 1 व 3 स्वयं उपस्थित एवम् अप्रार्थी संख्या 2 जरिए मुख्तयार आम अमर सहारण उपस्थित।
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 4

—:: आदेश ::—

दिनांक :– 09.02.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी[illegible] की भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अर्सा दराज [illegible] मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/10 की 0.0088 है0, 3/9 की 0.0174 है0, 3/8 की 0.01[illegible] व किला नम्बर 8 की 0.054 है0 +0.037 है० यानि 0.091 है०, किला नम्बर 7 [illegible] 0.061 है० व किला नम्बर 6/1 की 0.027 है0 भूमि (जिसका नक्शा साथ संलग्न है) में च[illegible] है उक्त घरू रास्ता से अपने रकबा में आते जाते हैं। प्रार्थीगण के रकबा में पहुंचने का यही एकमात्र विकल्प है, अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता नहीं है। किला नम्बर 3 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि यह रास्ता अर्सा दराज से लगातार चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंचाने का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता में से किला नम्बर 3 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज है। शेष रकबा स्वंय प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करते रहे। प्रार्थीगण द्वारा गांव के मौजूज व्यक्तियों की पंचायत साथ ले जाकर दिनांक 20.12.2023 को अप्रार्थीगण से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उन्होने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थी को धमकी है कि हम इस रास्ता को बन्द करेगें। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बन्द कर दिया तो प्रार्थीगण के रकबा में आने जाने का एकमात्र विकल्प समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने से व उक्त रास्ता पर प्रार्थीगण के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध करने से निषिद्ध रहें। यह कि प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना– पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उनके रकबा में आने जाने के लिए चक 1 जी छोटी के खाता संख्या 158/154 मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/10 की 0.0088 है०, खाता संख्या 177/158 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/9 की 0.0174 है०, खाता संख्या 154/42 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/8 की 0. 0185 है० व खाता संख्या 42/36 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 8 की 0.054 है0 +0.037 है० यानि 0.091 है०, किला नम्बर 7 के मध्य में से 0.061 है0 व किला नम्बर 6/1 की 0.027 है0 भूमि (जिसका नक्शा साथ संलग्न है) में चल रहे उक्त घरू रास्ता को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा जरिए मुख्तयारआम रमेश कुमार पुत्र अमरसहारण एवम अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर एवम् अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिए मुख्तयार आम अमर सिंह सहारण आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकरान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चकः 1 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/8 की 0.015 है0, 3/9 की 0.0174 है0, 3/10 की 0.004 है0, 6/1 की 0.174, 7 की 0.045 है0, 8 की 0.0700 हैक. भूमि रास्ते हेतू दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 1 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/8 की 0.015 है0, 3/9 की 0.0174 है0, 3/10 की 0.004 है0, 6/1 की 0.174, 7 की 0.045 है0, 8 की 0.0700 है0 भूमि रास्ते हेतु घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद [illegible] जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible]
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अब किसी भी प्रकार को कोई विवाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 1 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3/8 की 0.015 है0, 3/9 की 0.0174 है0, 3/10 की 0.004 है0, 6/1 की 0.174, 7 की 0.045 है0, 8 की 0.0700 हैक. भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 09.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अर्न्त0 धारा 251–ए आर.टी.ए.

परमेश्वरी बनाम रजनी वगैरह

!! संशोधित आदेश !!

दिनांक :– 27-02-24

प्रार्थी अंजू पत्नी श्री बलराम द्वारा जरिए मुख्तयार आम श्री अमर सिंह एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विविध प्रा. पत्र संख्या 255/2023 अनवानी परमेश्वरी बनाम रजनी वगैरह न्यायालय में दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.02.2024 के आदेश में चक 1 जी छोटी के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. 6/1 में 0.174 हैक. रकबा अंकित किया गया है जबकि चक 1 जी छोटी के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. 6/1 में 0.174 हैक. के स्थान पर किला नं. 6/1 में 0.0174 हैक्टर अंकित किया जाना था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 1 जी छोटी के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. 6/1 में 0.174 हैक. के स्थान पर किला नं. 6/1 में 0.0174 हैक्टर अंकित किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे धारा 151–152 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत संशोधित किया जा सकता है।

अतः विविध प्रकरण संख्या 255/2024 शीर्षक परमेश्वरी बनाम रजनी वगैरह में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2024 में संशोधन करते हुए चक 1 जी छोटी के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. 6/1 में 0.174 हैक. के स्थान पर किला नं. 6/1 में 0.0174 हैक्टर अंकित किया जाता है। उक्त संशोधन निर्णय /आदेश दिनांक 09.02.2024 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 27-02-24 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner